न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-54/2017

1- महावीर पुत्र रामदेवा
2- सुलतान पुत्र रामदेवा
जाति जाट निवासीगण ढाणी बिजारणीया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

3- जोधाराम पुत्र रामदेवा (मृतक)
3/1-सन्तोषदेवी पत्नी जोधाराम
3/2-धर्मवीर पुत्र जोधाराम
3/3-कर्मवीर पुत्र जोधाराम
जाति जाट निवासी ढाणी बिजारिणाया तन हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

3/4- अनामिका उम्र 14 साल पुत्री जोधाराम नाबालिग जरिये वली कुदरती माता सन्तोषदेवी पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी ढाणी बिजारणीया तन हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

4- महेन्द्र पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी ढाणी बिजारणिया तन हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

6- --अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- सरदारसिंह पुत्र गणपत
2- सुभाषचन्द्र पुत्र गणपत
3- बुधराम पुत्र गणपत
4- श्रवणीदेवी पुत्री गणपत
5- भोचन्द पुत्र हरदेवा
6- रामकुमार पुत्र मुंगाराम
7- अमरचन्द पुत्र मुंगाराम
8- अर्जुन पुत्र मुगाराम
जाति जाट निवासी ढाणी बिजारणिया तन हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

9- सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा गुढा गोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

10-राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
10-7-2017 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री सुभाष पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री विक्रम डुलड एडवोकेट- अपीलान्ट
3-श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 5 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ढाणी बिजारणियों के वर्तमान ख0नं0 26 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है । तथा वर्तमान ख0नं0 23 अप्रार्थीगण सं0-1 से 4 की तथा ख0नं0 24 व 25 अप्रार्थी सं0- 5 से 7 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के नया राजस्व ग्राम सृजित होने पर पुराने ख0नं0 208, 209, 210, व 211 रहे जिसके ऑपरेशन सैटलमेन्ट से पूर्व गत ख0नं0 146 थे । इस प्रकार गत ख0नं0 के ही हाल ख0नं0 23, 24, 25 व 26 भाग हैं ।गत ख0नं0 146 के प्रार्थीगण के पूर्वज बतौर कोटिनेन्ट दर्ज रेकार्ड रहे हैं। इस आराजी का सभी कोटिन्टस् ने आपसी सहमति से विभाजन कर लिया । अप्रार्थी सं0-1 से 4 की आराजी ख0नं0 23 में से एक कटान शुद्धा रास्ता है । उक्त रास्ते से वर्तमान ख0नं0 23, 24, 25 की पश्चमी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीगण तीन मीटर चौडाई का रास्ता कायम करवाना चाहता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में कोई अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट

ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील 54/2017 महावीर बनाम सरदारसिंह एवं दूसरी अपील सं0- 57/2017 उनवान अर्जुन बनाम सरदारसिंह आदि पेश की गई । उक्त दोनो अपीलों को कन्सोलिडेट कर अपील संख्या-54/2017 में ही अपील की कार्यवाही की गई है । इस कारण उक्त दोनो अपीलो का आधार अपील संख्या-54/2017 को ही मानकर आदेश पारित किया जा रहा है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट के खेत ख0नं0 23 पुराने ख0नं0 21। में से रास्ता दिये जाने का आदेश गलत रूप से पारित किया गया है । प्रकरण में सुनवाई की तारीख 4-10-2017 नियत थी । अदालत मातहत ने तारीख पेशी से पूर्व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय करने में कानूनी गलती की है ।ख0नं0 24, 25, 26 के खातेदार आपस में मिले हुये है । रेस्पोडेन्ट के पास खेत ख0नं0 24, 25, 26 में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । ख0नं0 पुराने 213 नये ख0नं0 25 से ख0नं0 24 की दूरी केवल 7 मीटर है और अपीलान्ट के खेत मे रास्ते की दूरी 20-25 मीटर पडती है । अपीलान्ट का मकान जो पूर्व में बना हुआ है वह भी टूटता है ।जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी होगी । अदालत मातहत ने दिनांक 30-6-2017 को भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें यह अंकित नही किया गया कि ख0नं0 23 में दिये जाने वाले प्रस्तावित रास्ते की दूरी क्या है । इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश त्रुटि पूर्ण है । कटान के रास्ते से निकटतम दूरी ख0नं0 24 में जाने के लिये मौजूद है । जिसको भू-अभिलेख निरीक्षक ने जान बुझ कर रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत के आदेश की पालना मे अपीलान्ट का मकान तोडा जाता है तो अपीलान्ट को सख्त हकतलफी होगी । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।अपीलान्ट की तामिल विधिनुसार नहीं करवाई गई । प्रस्तावित रास्ते पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है ।इस तथ्य को भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जिस पर अदालत मातहत ने भी कोई गौर न कर आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने का वैकल्पिक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । रेस्पोडेन्ट ने यह प्रस्तावित रास्ता आपस में मिली भगत कर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से लिया है । जिसमे अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।मौके की रिपोर्ट तैयार की तब भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । इस प्रकार अदालत मातहत में सारी कार्यवाही अपीलान्ट की पीठ पिछे की गई है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश पारित किया है । अदालत मातहत में अपीलान्टस् ने अपना जबाब जरिये वकील पेश किया है । अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामिल हुये है । इन्होने अपना जबाब पेश किया है ।मौका रिपोर्ट पर भी इन्होने कोई ऐतराज नहीं किया है ।दूसरी अपील अर्जुन ने की है उसकी असालतन तामिल हुई है । उसने कोई जबाब पेश नहीं किया जब उसने कोई हमारे प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया तो यही माना जावेगा कि उसने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है ।मौका रिपोर्ट में

भू-अभिलेख ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि हमारे रास्ते को अपीलान्ट मौके पर निर्माण कर रास्ता को बन्द करने पर आमादा हुये तथा रास्ता बन्द कर दिया। ख0नं0 26 में आने जाने के लिये अन्य रास्तों के बजाय ख0नं0 23, 24 25 में से जो रास्ता प्रस्तावित है उसकी दूरी कम है। अर्थात धारा-251 {ए} राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुसार सबसे कम दूरी का रास्ता दिया गया है। अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस का उत्तर देते हुये कथन किया कि मेरी अपील अर्जुन बनाम सरदारसिंह है। अर्जुन के हस्ताक्षर फर्जी किये है। तामिल कुनिन्दा ने कौनसी दिनांक को तामिल करवाई है तथा अदालत मातहत ने अर्जुन एवं अन्य की तामिल कब मानी है तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कब की है। अर्थात हमारी तामिल के कोई आदेश नहीं है। अदालत मातहत की आदेशि--का के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी तामिल नहीं हुई है। कोई तामिल के आदेश पत्रावली पर नहीं है तथा न ही हमारे विरूद्ध एकतरफा कार्य--वाही के आदेश पारित किये है। अतः मेरी अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं0-2069 से 2072 में ख0नं0 23 रकबा 1.85 हैक्टर की खातेदारी महावीर, सुल्तान, जोधाराम महेन्द्र पि0 रामदेवा के नाम दर्ज है। ख0नं0 24 व 25 कुल किता-2 रकबा 1.73 हैक्टर की खातेदारी रामकुमार, अमरचन्द, अर्जुन पि0 मुंगा के नाम दर्ज है। ख0नं0 26 रकबा 1.69 हैक्टर की खातेदारी सरदार सिंह, सुभाषचन्द, बुद्धराम पि0 गणपत, श्रवणीदेवी पत्नी स्व0 गणपत हि0 1/2 रायचन्द पि0 हरदेवाराम हि0 1/2 के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया। नजरी नक्शा सन् 1979-80 का अवलोकन किया गया। जिसमें गत खसरा नं0 211 मे डोटेड लाईन से रास्ता दर्ज है जो ख0नं0 211 के दक्षिणी पश्चिमी कौने में से है। गत ख0नं0 211 के नये ख0नं0 23 बने हैं। अदालत मातहत

की आदेशिका का अवलोकन करने पर आया कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने के आदेश देकर आगामी पेशी दिनांक 16-12-2016 दी गई । दिनांक 17-1-2017 को अनावेदक संख्या-1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ तथा दिनांक 16-2-2017 को अनावेदक संख्या-1 से 4 ने अपना जबाब जरिये वकील पेश किया । शेष अनावेदक संख्या-5 से 9 की तामिल हुई अथवा नहीं इस बाबत अदालत मातहत ने आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया तथा तथा अनावेदक संख्या-5 से 9 के विरूद्ध कोई एक्सपार्टी के आदेश भी नहीं किये ।अर्थात अर्जुन बनाम सरदारसिंह की अपील में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर योग्य अदालत मातहत में नहीं दिया गया ।आदेशिका के अनुसार अनावेदक सं0-5 से 9 की तामिल के कोई आदेश नहीं किये तथा ना ही उनकी ओर से जबाब बन्द किया और ना ही उनके विरूद्ध एकतरफा के आदेश पारित किये है इस प्रकार अदालत मातहत ने अनावेदक संख्या- 5 से 9 को विधिवत रूप से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।अतः हम न्यायहित में सभी पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 10-7-2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । अनावेदकगण को पाबन्द किया जाता है कि अदालत मातहत के निर्णय तक रास्ते में किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करें। आदेश की एक प्रति अपील संख्या-57/2017 अर्जुन बनाम सरदारसिंह में संलग्न की जावे । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 25-6-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.5.2018 को सुनाया गया ।

31/5/18

(जवरलाल मेहरड़ा)